Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

मनसबदारी प्रथा

निशान्त कुमार
शोध छात्र,
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रोफेसर हेरम्ब चतुर्वेदी
शोध निर्देशक,
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

Article Info
Volume 3, Issue 6
Page Number: 81-86
Publication Issue :
November-December-2020

Article History
Accepted : 10 Dec 2020
Published : 24 Dec 2020

सारांश – मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मेरूदण्ड थी यह एक प्रकार से ब्रिटिश सिविल सेवा के 'स्टील फ्रेम' के समान थी। इसके चलते ही साम्राज्य का सैन्य एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ एवं जटिल नौकरशाही व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हुआ। इस व्यवस्था ने एक संगठित एवं वफादार वर्ग का सृजन किया। साम्राज्य के प्रादेशिक विस्तार के साथ ही प्रबल केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। मनसबदार वर्ग में विभिन्न वर्गों, संप्रदायों को स्थान मिला। फलतः एकीकरण की भावना को प्रोत्साहन मिला। मनसबदारों की जीवनशैली, रूचियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। मनसबदारों ने क्षेत्रीय भाषा, कला, संगीत, साहित्य आदि के विकास को अवलम्ब प्रदान किया।

मुख्य शब्द – मनसबदारी, मुगल, प्रशासनिक, कला, संगीत, साहित्य, अकबर।

'मनसब' शब्द का अर्थ है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 'निर्धारित पद, स्थान या प्रतिष्ठा'।[i] मध्य एशिया और दिल्ली सुल्तनत के तहत एक अल्पविकसित प्रणाली अस्तित्व में थी, लेकिन अकबर ने इसे अधिक नियमित एवं व्यवस्थित बना दिया।[ii]

मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधारभूत स्तम्भ थी। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली थी। इस व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय अकबर को जाता है। इस व्यवस्था से अमीर, सेना एवं नौकरशाही को एक सूत्र में संगठित कर दिया गया। अकबर ने इस प्रथा के माध्यम से कई उद्देश्यों की पूर्ति की।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सर्वप्रथम उसने मुगल साम्राज्य का सैन्य सुदृढ़ीकरण किया। मुगल अभिजात्य वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हे राज्य का अंग बनाया तथा इस व्यवस्था द्वारा उनकी योग्यता एवं वफादारी को सुनिश्चित किया। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की सिविल व सैन्य सेवाओं का संचालन उसी के द्वारा करवाया।

मनसबदारी प्रथा मूल रूप से मध्य एशियाई एकस्तरीय व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत अधिकारियों को दशमलव प्रणाली के अनुसार पद प्रदान किये जाते थे।[iii] आईन–ए–अकबरी के अनुसार न्यूनतम मनसब का अंक 10 (दहबासी) था और अधिकतम 10 हजार (दह हजारी) था,[iv] परन्तु सामान्यतः नियुक्तियाँ 5 हजार के मनसब की ही की जाती थी। इसके ऊपर के मनसब प्रमुख व्यक्तियों को ही दिये जाते थे।[v]

इस व्यवस्था के अन्तर्गत मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति स्थानान्तरण एवं उनका नियंत्रण बादशाह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। यह व्यवस्था अधिकांशतः वंशानुगत नहीं थी तथा सम्राट को इसके अधिकारों एवं सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार था।[vi] यह व्यवस्था उन लागों के लिए थी, जो अपने व्यक्तिगत गुणों एवं साम्राज्य के प्रति निष्ठा के आधार पर मनसब प्राप्त कर सकते थे।

मनसब से मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति या वरीयता का बोध होता था। किसी व्यक्ति को दिये गये मनसब से शाही पदानुक्रम व्यवस्था में उसका स्थान एवं वेतन निर्धारित होते थे।[vii] इससे यह भी तय होता था कि किस मनसबदार को राज्य की सेना के लिए कितने सशस्त्र परिचर रखने थे। मनसबदार किसी भी प्रशासनिक या सैनिक पद पर हो सकता था। उसे बादशाह की सेवा में दरबार में रखा जा सकता था। छोटे मनसबदारों को वेतन नकद दिया जाता था, लेकिन आमतौर पर बड़े मनसबदारों को नकद के बदले जागीर दी जाती थी।[अपपप] जागीर देने का अर्थ था नागरिक क्षेत्र से राज्य को प्राप्त सभी देयों की वसूली का अधिकार प्रदान किये जाने वाले मनसब सामान्यतः 10 से 5 हजार तक होते थे। सैद्धान्तिक रूप से उनकी कुल 66 कोटियाँ थीं। हालांकि व्यवहार में 33 ही अस्तित्व में थीं।[ix] 100 इकाई तक के मनसब 10 के गुणनफलों के अनुसार दिये जाते थे। उसके बाद 50 से 100 के गुणनफलनों के अनुसार। वैसे तो मनसबदार का प्रयोग सभी मनसबदारों के लिए होता था, लेकिन लोक व्यवहार में 10 से 500 तक का मनसब धारण करने वाला मनसबदार कहलाता था तथा 500 से 2500 तक का मनसब धारण करने वाला अमीर कहलाता था तथा 2500 से ऊपर मनसब धारण करने वाला अमीर–ए–उम्दा कहा जाता था।[x]

मनसबों को इस तरह संख्यात्मक वर्गीकरण एक नियमित सोपान व्यवस्था में संयोजित कर देने का श्रेय अकबर को दिया जाता है।[xi] अकबर द्वारा इस व्यवस्था की ओर प्रयास का प्रारम्भ 1566 से देखने को मिलता है,[xii] लेकिन इस समय तक कोई मनसबदार कितना घुड़सवार रखता था इसकी संभवतः कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। कागज में दिखाये गये घोड़े की संख्या और उनकी वास्तविक संख्या में अंतर आने लगा, इसलिए 1573–74 में अकबर द्वारा पूर्ववर्ती दाग व चेहरा प्रणाली को अपनाया गया।[xiii] इस व्यवस्था के तहत सिपाही का चेहरा, घोड़ों

की संख्या, उनकी किस्म आदि का सम्पूर्ण विवरण लिया जाने लगा। नियुक्तियाँ व तरक्कियाँ भी इसी आधार पर की जाने लगीं, जो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। उन्हे दण्डित भी किया जाने लगा।[xiv]

अकबर द्वारा 1595–96 में जात एवं सवार के दोहरे दर्जे लागू करने की नीति को इसी पृष्ठभूमि के तहत समझना चाहिए।[गअ] जात किसी सरदार के व्यक्तिगत वेतन व दर्जे का सूचक था और सवार द्वारा किसी व्यक्ति का सैनिक दायित्व निर्धारित होता था। किसी भी व्यक्ति के पद की स्थिति इसके सवारों की संख्या नहीं, बल्कि जात की संख्या पर निर्भर करती थी।[xvi]

सवार मनसब की संख्या किसी भी हालत में जात से अधिक नहीं हो सकती थी। जात और सवार के आधार पर मनसबदारों को तीन कोटियों में बाँटा गया। प्रथम कोटि में वे मनसबदार थे, जिनका जात व सवार पद बराबर (5000/5000) था। दूसरे कोटि में वे मनसबदार थे, जिनका सवार पद जात से आधा या आधे से अधिक था (5000/3000) एवं तीसरी कोटि में वे मनसबदार थे, जो अपने जात के आधे से कम सवार रखते थे (5000/2000)।[गअपप] मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी वह उसके जात वेतन व सवार दर्जे पर आधारित वेतन के जोड़ के बराबर होती थी।[xviii]

ये मनसबदार साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण सैनिक एवं असैनिक पदों पर नियुक्त होते थे। मुल्ला–दो–प्याजा एक मनसबदार था, जो कि एक असैन्य पदाधिकारी था। मनसबदारी व्यवस्था एक प्रकार की वैयक्तिक नौकरशाही थी, जो पूर्णरूपेण बादशाह पर आधारित थी।

इसके स्वरूप में अगला परिवर्तन जहाँगीर के काल में आया, जब उसने दो–अस्पा व सिह–अस्पा पद्धति की शुरूआत की।[गपग] सामान्य व्यवस्था के तहत् मुगल मनसबदारों को ऐसे सवार बहाल करने होते थे, जिनके पास प्रति सवार अनुपातिक रूप से घोड़े होते थे, जो कि मुगल शक्ति के आधार घुड़सवार सेना को दृढ़ बनाये रखने के लिए अपनाया गया था।[गग] जहाँगीर की सिह अस्पा पद्धति की व्याख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, सामान्य तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँगीर ने वित्तीय व्यय को बढ़ाये बगैर ही मुगल सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए इस पद्धति को चुना। इसके तहत मनसबदारों को दो श्रेणियों में बाँट दिया गया– बारबर्दी और दो अस्पा सिह अस्पा। बारबर्दी मनसबदार, जो पूर्व की चली आ रही व्यवस्था वाले मनसबदार थे और दूसरी व्यवस्था के तहत, मनसबदार के जात स्तर में वृद्धि किए बगैर ही उसे अपने सवार में वृद्धि करने का अवसर मिल जाता था, जैसे– यदि 3000 का मनसबदार दो अस्पा सिह अस्पा का मनसबदार था तो उसका जात 3000 से ही तय होगा, लेकिन वह 4500 की संख्या में सवार रख सकता था, जबकि अकबर द्वारा बनाई गई सामान्य मनसबदारी व्यवस्था के तहत् यह प्रावधान था कि कोई भी मनसबदार अपनी जात व्यवस्था से ज्यादा सवार नहीं रख सकता था। इससे कम व्यय पर अतिरिक्त सेना तो मिली ही साथ ही योग्य सरदारों को भी उतने ही जात वेतन पर ज्यादा संख्या में सवार रखने का भी अवसर प्राप्त हुआ।[गगप] इसके अंतर्गत यह भी व्यवस्था थी कि एक मनसबदार यदि 3000 का मनसबदार है तो उसे भी दो भाग में बाँटा जा सकता था, जिसमें दो अस्पा सिह अस्पा और बारवर्दी का प्रवर्ग आ

जाएगा।[गगपप] यदि उसमें 2000 बारवर्दी और 1000 दोअस्पा–सिहअस्पा की व्यवस्था हो तो बारवर्दी के अनुसार वह 2000 सवार रखेगा और दूसरी व्यवस्था के तहत् 1500, इस तरह कुल 4000 सवार हो जाएँगे।[xxiii]

इस व्यवस्था में अगला पहलू शाहजहाँ ने जोड़ा, जिसके तहत् यह इंतजाम किया गया कि जिन मनसबदारों की नियुक्ति जिस प्रान्त में होती थी उसी प्रान्त में उसकी जागीर हो तो अपने सवार दर्जे का 1/3 सवार रखने के लिए स्वतंत्र हैं और जिनकी जागीरें उनकी नियुक्ति के प्रान्त से बाहर हो तो वो अपने सवार दर्जे का 1/4 सवार रख सकते थे।[गगपअ] यह व्यवस्था सामान्यतया उत्तर भारत में अपनाई गई। बल्ख और बदख्शा में उनके सवार दर्जे और उनकी जिम्मेदारी का अनुपात घटाकर 1/5 कर दिया गया।[गगअ] दक्कन क्षेत्र में नियुक्त मनसबदार भी 1/5 का अनुपात मानने के लिए बाध्य थे।[गगअप] इसका तात्पर्य कि यदि मनसबदार का दर्जा 2000 का था और उसे उत्तर भारत में अपने प्रान्त के बाहर जागीर दिया गया तो इसका तात्पर्य था कि वो 2000/4 यानि कि सिर्फ 500 सवार रखने होते थे और यदि इस 2000 में 1000 दोअस्पा सिहअस्पा का था तो उनके 1000 सवार के स्थान पर 250 का दो गुना अर्थात् 500 सवार रखने पड़ते थे, यानि कि कुल सवारों की संख्या 750 हुई। शाहजहाँ ऐसा इसलिए कर रहा था, क्योंकि मुगल–भू–राजस्व में जमा यानि कि आकलन और हासिल यानि कि प्राप्ति के बीच एक फर्क होने के कारण जागीरदार अपने लिए निर्धारित सैन्य संख्या प्रबंधन करने में असमर्थ हो रहे थे।[गगअपप] इसके लिए उसने मनसबदारों के वेतन जागीर में जमा और हासिल के बारह (12), जो साल के बारहों महीने का बोध कराते हैं, के मापदण्ड के आधार पर वर्गीकृत कर एक संगत रूप देने का प्रयत्न किया। इसके अनुसार जागीर **दसमासी, आठमासी, छःमासी** आदि में वर्गीकृत किया गया। इसकी अंतिम इकाई **चारमासी** की थी।[xxviii] सामान्यतया शाहजादे ही या फिर इक्के–दुक्के बड़े अमीरों को ही दसमासी जागीर प्राप्त होता था एवं सामान्य अमीरों को आठमासी से ज्यादा और चारमासी से कम देने का प्रावधान नहीं था। मराठा क्षेत्र में मनसबदारों को तीनमासी और चारमासी जागीर ही मिलती थी। मासिक मापदण्ड जात और सवार दोनों दर्जों पर लागू होता था, जैसे– शाहजहाँ के काल में एक सवार का मासिक वेतन **40 रूपया** प्रतिमाह की दर से लगाया जाए तो महीने की संख्या के अनुसार उनके वेतन में भी कटौती कर दी जाती थी, लेकिन सवारों के मामले में इस अनुपात को पूर्णतया 12 के मानदण्ड पर स्थापित नहीं किया गया, जैसे–आठमासी जागीर में सवार को **30 रूपया** मासिक और यदि छहमासी है तो 25 रूपया प्रतिमाह।[xxix]

औरंगजेब ने इसमें **'मशरूत'** व्यवस्था फिर से लागू की।[गगग] मशरूत का कोई उन्नत तकनीकी आधार नहीं था। इसके तहत् सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर सवारों की सशर्त बहाली का प्रावधान किया गया था।[xxxi]

मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मेरूदण्ड थी यह एक प्रकार से ब्रिटिश सिविल सेवा के 'स्टील फ्रेम' के समान थी। इसके चलते ही साम्राज्य का सैन्य एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ एवं जटिल नौकरशाही व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हुआ। इस व्यवस्था ने एक संगठित एवं वफादार वर्ग का सृजन किया। साम्राज्य के प्रादेशिक विस्तार के साथ ही प्रबल केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। मनसबदार वर्ग में विभिन्न वर्गों,

संप्रदायों को स्थान मिला। फलतः एकीकरण की भावना को प्रोत्साहन मिला। मनसबदारों की जीवनशैली, रूचियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। मनसबदारों ने क्षेत्रीय भाषा, कला, संगीत, साहित्य आदि के विकास को अवलम्ब प्रदान किया।

इस व्यवस्था के सफल संचालन हेतु शासक का शक्तिशाली व योग्य होना आवश्यक था, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल शासकों की दुर्बलता ने इस व्यवस्था में विभिन्न दोषों को उजागर करने का काम किया। अनुभवहीन व अयोग्य शासकों के समय यह व्यवस्था साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुई। ऐसी स्थिति में सैनिकों की वफादारी शासक के प्रति न होकर मनसबदार के प्रति होती थी। इसके अलावा नागरिकों की शोषण प्रवृत्ति का विकास हुआ। मनसबदारों/जागीरदारों के स्थानान्तरण के कारण उनका ध्यान भूमि के विकास व कृषि उत्पादन पर नहीं रह गया। फलतः किसानों का शोषण बढ़ा, कृषि का विकास अवरूद्ध हुआ तथा तमाम विद्रोह हुए। ये तमाम कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

i विलियम इरविन :द आर्मी आफ द इण्डियन मुगल्स (लो प्राइस पब्लिकेशन, 2012), पृ0–58

ii मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–574

iii एण्ड्रयू दी ला गार्जा : बाबर, अकबर एण्ड द इण्डियन मिलिट्री रिवोल्यूशन, 1500–1605 (थीसिस, द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, 2010), पृ0–200

iv अबुल फजल : आइने–अकबरी, ग्रन्थ 1–2 (अनुवाद–हरिवंश राय शर्मा, फिदा हुसैन खाँ), (महमना प्रकाशन मंदिर, 1966), पृ0–174

v वही

vi एण्ड्रयू दी ला गार्जा : बाबर, अकबर एण्ड द इण्डियन मिलिट्री रिवोल्यूशन, 1500–1605 (थीसिस, द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, 2010), पृ0–200

vii जास गोमान्स : मुगल वॉरफेयर (रौतलेज, लंदन एण्ड न्यूयॉर्क, 2003), पृ0–85

viii मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–577

ix अबुल फजल : आइने–अकबरी, ग्रन्थ 1–2 (अनुवाद–हरिवंश राय शर्मा, फिदा हुसैन खाँ), (महमना प्रकाशन मंदिर, 1966), पृ0–175

x मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–577

xi वही, पृ0–74

[xii] अब्दुल अजीज–द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी (अब्दुल अजीज, बार–एट–लॉ, लाहौर), पृ0–38

[xiii] वही, पृ0–40–41

[xiv] मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–578

[xv] अब्दुल अजीज–द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी (अब्दुल अजीज, बार–एट–लॉ, लाहौर), पृ0–70–71

[xvi] विलियम इरविन :द आर्मी आफ द इण्डियन मुगल्स (लो प्राइस पब्लिकेशन, 2012), पृ0–5–6

[xvii] वही

[xviii] जास गोमान्स : मुगल वॉरफेयर (रौतलेज, लंदन एण्ड न्यूयॉर्क, 2003), पृ0–84

[xix] अब्दुल अजीज–द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी (अब्दुल अजीज, बार–एट–लॉ, लाहौर), पृ0–76–77

[xx] मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–580

[xxi] वही, पृ0–581

[xxii] वही

[xxiii] वही

[xxiv] सीमा खान : मिलिट्री आर्गनाइजेशन अंडर शाहजहाँ (थीसिस ए0एम0यू0, अलीगढ़, 2017), पृ0–167

[xxv] मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–581

[xxvi] अब्दुल अजीज–द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी (अब्दुल अजीज, बार–एट–लॉ, लाहौर), पृ0–81

[xxvii] जास गोमान्स : मुगल वॉरफेयर (रौतलेज, लंदन एण्ड न्यूयॉर्क, 2003), पृ0–88

[xxviii] अब्दुल अजीज–द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी (अब्दुल अजीज, बार–एट–लॉ, लाहौर), पृ0–84–85

[xxix] मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–581

[xxx] विलियम इरविन :द आर्मी आफ द इण्डियन मुगल्स (लो प्राइस पब्लिकेशन, 2012), पृ0–13

[xxxi] मे0 ज0 गुरूचरण सिंह संधू : ए मिलिट्री हिस्ट्री आफ आफ मेडिवल इण्डिया (विजन बुक्स, 2003), पृ0–580